

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक-एफ-3/47/2016/18-5
प्रति,

भोपाल, दिनांक /06/2016

उप नियंत्रक
शासन केन्द्रीय मुद्रणालय
भोपाल ।

विषय :- भूमि विकास नियम 2012 में संशोधन ।

उपरोक्त विषय में विभाग द्वारा जारी विभागीय सूचना दिनांक 13/06/2016 की हिन्दी एवं अंग्रेजी की प्रतियाँ संलग्न है । कृपया उक्त सूचना को साधारण राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कर प्रकाशित राजपत्र की 10 प्रतियाँ विभागीय उपयोग हेतु भिजवाने का कष्ट करें ।
संलग्न:यथोपरि

(सी के साधव)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

भोपाल, दिनांक 13 /06/2016

क्रमांक-एफ-3/47/2016/18-5
प्रतिलिपि:-

सचालक नगर तथा ग्राम निवेश की और सुचनार्थ अग्रेषित कर लेख है कि शासन केन्द्रीय मुद्रणालय से 25 प्रतियाँ राजपत्र की प्राप्त कर 10 प्रतियाँ विभागीय उपयोग हेतु भिजवाने का कष्ट करें ।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
13/6/16

संलग्नक
1 नगर निवेश विभाग
संलग्नक
Add. Dr. (N) 863
14/6/16
विधि I
अधिकारी

2197/TC
16/06/16
22/211
16/6/16

16/06/16

14/6

16.6.16

Dman (S)

मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 13 / 06 / 2015

//सूचना//

क्रमांक-एफ-3/47/2016/18-5:-मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे कि राज्य सरकार, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973(क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा-24 की उपधारा(2) के साथ पठित धारा-85 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा-85 की उपधारा(1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन का अवसान होने के पश्चात् उक्त प्रारूप संशोधन पर विचार किया जायेगा ।

ऐसे किसी भी आपत्ति या सुझाव पर , जो उक्त प्रारूप के संबध में किसी व्यक्ति से उपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप संशोधन

1 नियम 17 संशोधन


नियम-17 के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

" 17(क)- कृषि पर्यटन सुविधा" कृषि उपयोग के लिये उपदर्शित कृषि क्षेत्र में निम्नलिखित शर्तों और ऐसी अन्य शर्तों जो कि प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाये, के अध्यक्षीन रहते हुये कृषि पर्यटन सुविधा अनुज्ञेय होगी:-

- (क) भूखण्ड का न्यूनतम आकार 1.00 हेक्टेयर होगा,
- (ख) अधिकतम तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) 0.10 होगा,
- (ग) ढलुआ छत सहित संरचना की अधिकतम उँचाई 7.5 मीटर होगी,
- (घ) सभी और न्यूनतम खुला (एम.ओ.एस.) 7.5 मीटर होगी,
- (ङ) भूखण्ड हेतु पहुँच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 7.5 मीटर होगी,
- (च) कृषि पर्यटन सुविधा के अन्तर्गत निम्न गतिविधियो अनुमत होगी:-

कृषि फार्म, फूलोद्यान, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैम्पिंग सुविधायें, अस्तबल, कला पर्दर्शनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र, खेल सुविधा, गिम्ट शाप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्गमीटर से अधिक न हो) रख-रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एरिया थिएटर ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(सी के साधव)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

7/6/2016

Government of Madhya Pradesh
Urban Development And Environment Department
MANTRALAYA

Notice

Bhopal, Dated 3 / June / 2016

No. 3/47/2016/18-5:: The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 2012 which the State Government Proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 85 read with Sub-section (3) of Section 24 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) is hereby published as required by Sub-section (1) of Section 85 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after expiry of thirty days from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

1. Amendment of Ruls 17,-

After rule 17, the following sub rule shall be inserted, namely :-

17(a) "Agricultural tourist facility" in any area designated for agriculture use, Agricultural tourist facility shall be permissible subject to the following conditions and such other conditions as may be imposed by the authority" :-

- (a) Minimum Size of the plot shall be 1.00 hectore,
- (b) Maximum Floor area ratio (F.A.R.) shall be 0.10,
- (c) The maximum height of the structure shall be 7.5 meters with sloping roof,
- (d) Minimum marginal open space (M.O.S.) shall be 7.5 meters from all sides,
- (e) Plot shall be accessible by road having width not less than 7.5 meters.
- (f) Following activities shall be permissible under "Agricultural tourist facility" :-


Agriculture farm, Flowers carriage, Fruits carriage, Bee keeping, Cattle breeding, Fisheries, Sericulture, Camping facilities, Stable, Art Exhibition Hall, Cottage for tourist, Restaurant, Yoga hall, Naturopathy Center, Sport facilities, Gift shop (maximum area not exceed from 50 sq. metere), Residential accommodation for maintanance staff, Swimming Pool, Open air theater for Entertainment of inhouse tourist.

By order and in the name of the
Governor Of Madhya Pradesh,


(C.K.Sadhaw)

Deputy Secretary

Government of Madhya Pradesh
Urban Development And
Environment Department


7/16/2016